उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-79/2022/1532/छप्पन-2022-43/2015
लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

(शुद्धि-पत्र)

राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 A109S VT-UPL में लगे Rod assembly. Pitch control तथा सम्बन्धित स्पेयर्स को AOG के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-75/2022/1478/छप्पन-2022-43/2015 दिनांक 28 सितम्बर, 2022 द्वारा रू0 44,72,716/- (रूपए चौवालीस लाख बहत्तर हजार सात सौ सोलह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- अनुरोध है कि निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर-3 में टंकण त्रुटि के कारण **अनुदान संख्या-38 के पूँजीगत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय'' अंकित हो गया है। उक्त के स्थान पर उक्त व्यय को अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय''** पर भारित समझा एवं पढ़ा जाए।

3- उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

पृ0संख्या-79/2022/1532 (1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।